

कार्यालय महालेखाकार (ले.
व ह.) छत्तीसगढ़, बलौदा
बाजार रोड, जीरो प्वाइंट,
रायपुर, छत्तीसगढ़



OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), Chhattisgarh
Baloda Bazar Road, Zero
Point, Raipur- 492005

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक/Letter No./Admn.-II/F-184/का.आ.-153


दिनांक/Date: 28/01/2025

कार्यालय आदेश

भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन क्र. 18011/1/86 स्था.(डी) दिनांक 28.03.1988 द्वारा प्रारंभिक नियुक्ति के पद पर स्थायीकरण से संबंधित जारी निर्देशों के अंतर्गत नीचे दर्शाये गये परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापालों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति संवर्ग संभागीय लेखापाल के पद पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये दिनांक से स्थायी घोषित किया जाता है:

सरल क्र.	नाम (सर्व श्री)	यूनिक आई. डी. (सी.जी.ड.)	स्थायी दिनांक
01	आकाश	2250161	24.10.2024
02	विनय कुमार	2250162	24.10.2024

(प्राधिकार: महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक 28.01.2025)


उप महालेखाकार (लेखा)


पृ.क्र. Admn.-II/F-184/का.आ.-153 | STR-1-563

दिनांक: 28.01.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. संबंधित कार्यपालन अभियंता.....
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सर्वर (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
3. सचिवालय/महालेखाकार (लेखा, एवं हक.)
4. सचिवालय/उप महालेखाकार (लेखा)
5. संबंधित कर्मचारी को अधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से।
6. व्यक्तिगत फाइल


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशासन-II


लेखा
28/1